



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : गोप0/151
दिनांक : 01-2-23

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त अनुदानित महाविद्यालय/राजकीय महाविद्यालय,
सम्बद्ध चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

विषय : विषम सेमेस्टर दिसम्बर-2022 की प्रयोगात्मक/मौखिकी परीक्षा में विश्वविद्यालय द्वारा नामित परीक्षकों के लिखित रूप में इन्कार किये जाने की स्थिति में वैकल्पिक परीक्षकों की व्यवस्था हेतु निर्देश।

महोदय/महोदया,

कृपया दिनांक 22.11.2022 को आहूत परीक्षा समिति की बैठक के मद संख्या-02 के संकल्प-17 में प्रयोगात्मक/मौखिकी परीक्षा समय से सम्पन्न कराये जाने के सम्बन्ध में निम्नवत् निर्णय लिया गया है :-

"विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त तीनों परीक्षक यदि प्रयोगात्मक परीक्षा कराने से लिखित में मना करते हैं, तो राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों के प्राचार्यों को यह अधिकार होगा कि वह अपने विवेक से योग्यता/अर्हता पूर्ण करने वाले किसी भी परीक्षक से प्रयोगात्मक परीक्षाये सम्पन्न करा लें। स्ववित्त पोषित महाविद्यालय विश्वविद्यालय से नया परीक्षक नियुक्त करा लें।"

स्पष्ट करना है कि विश्वविद्यालय द्वारा जो परीक्षक नामित किये गये हैं, उक्त निर्णय के अनुसार उन परीक्षकों को लिखित रूप में मना करना आवश्यक है। सूच्य है कि परीक्षकों से परीक्षा सम्पन्न कराने के पश्चात् परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से परीक्षकों का कार्यान्तर अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय एवं अनुमोदन प्राप्त करते समय परीक्षा से इन्कार किये जाने वाले परीक्षकों से लिखित रूप में ऑनलाईन/ऑफलाईन पत्र अवश्य प्राप्त किया जाय एवं परीक्षा समिति के निर्णय के अनुपालन में लिखित रूप में मना किये गये पत्र को अनिवार्य रूप से विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

यह ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि यह अधिकार केवल राजकीय तथा अनुदानित महाविद्यालय के प्राचार्यों को ही प्रदान किया गया है। स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्राचार्या/केन्द्राध्यक्ष उसकी सूचना विश्वविद्यालय को तत्काल उपलब्ध करायेंगे ताकि उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा अन्य परीक्षकों के नाम प्रेषित किये जा सकें।

उपर्युक्त व्यवस्था छात्रहित को ध्यान में रखते हुए शीघ्रता से परीक्षाफल घोषित करने के आशय से की गई है।

भवदीय

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. वैयक्तिक सहायक, कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. वैयक्तिक सहायक, परीक्षा नियंत्रक को परीक्षा नियंत्रक जी के सूचनार्थ।
4. प्रभारी वेबसाईट को इस आशय से कि उक्त पत्र को विश्वविद्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

सहा0 कुलसचिव (गोपनीय)